कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक– 01 / एस.डब्ल्यू./2023 देवास दिनांक–19.01.2023

मैं, प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त (Conferred) शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, इस निमित्त प्रवत्त पूर्ववर्ती समस्त आदेशों को अतिष्ठित (Superseded) करते हुए सिविल जिला, देवास एवं देवास, सत्र खण्ड में निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ। यह कार्य विभाजन आदेश **दिनांक 19.01.2023** से प्रभावशील होगा :–

क.	न्यायालय का नाम	क्षैत्राधिकार	प्रकरणों की प्रकृति
01	02.	03.	04.
01.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (श्री प्रभात कुमार मिश्रा)**	सिविल जिला देवास	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 10,00,00,000/– (दस करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. जिला मुख्यालय, देवास पर कार्यरत समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड, तहसील न्यायालय टोंकखुर्द में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायालय, देवास तथा कालान्तर में उक्त न्यायालयों में स्थानांतरण पर पदस्थ होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों के विरूद्ध सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, अंतर्गत चुनाव याचिकाएं (तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव, को छोड़कर) 5. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील सोनकच्छ, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर कन्नौद, सतवास एवं खातेगांव को छोडकर अन्य समस्त आरक्षी केंद्र देवास, बरोठा एवं टोंकखुर्द के क्षेत्राधिकार में मोटर दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले **एकल मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा (SINGEL DEATH CLAIM)** उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 6. हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें। 7. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी देवास के आदेश से उद्भूत अपीलें।

			8. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उद्भूत अपीलें। 9. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण (तहसील देवास एवं टोंकखुर्द) 10. धारा 307 नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त व्यवहार वाद। 11. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 2018 का 18) की धारा 20(ख) के अंतर्गत सिविल जिला, देवास में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, (म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रं. 4779/2022/इक्कीस/ब/(एक) 2022 दिनांक 23.12.2022 अनुसार) 12. समस्त व्यवहार वाद, आवेदन, याचिकाएं, अपील एवं कार्यवाहियां जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत होती हैं व जो संज्ञान हेतु अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं।
		सत्र खण्ड, देवास	13. अनन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समस्त आवेदन एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरण। 14. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 15. सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1993 से उद्भूत प्रकरण। 16. किशोर न्याय बोर्ड, देवास द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 17. आरक्षी केन्द्र देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत होने वाले समस्त जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 438 एवं 439 द.प्र.सं. (एस.सी. /एस.टी. एक्ट, एन.डी. पी.एस.एक्ट, पॉक्सो एक्ट एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अतिरिक्त) 18. सत्र खण्ड देवास की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे अन्य आपराधिक प्रकरण,जिनके संबंध में किसी अन्य अपर सत्र न्यायाधीश को प्राधिकृत नहीं किया गया है।
02.	**विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.एक्ट) (श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा)**	**सत्र खण्ड, देवास**	1. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विशेष प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्रों सहित। 2. सत्र खण्ड देवास में उद्भूत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. एक्ट) के प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध विविध कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र व अन्य आवेदन आदि (अधिसूचनानुसार)।

			3. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) 4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण, व्यवहार अपीलें, सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रकरण।
03.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) (श्री मनीष सिंह ठाकुर)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत होने वाले प्रवर्तन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।
		सत्र खण्ड देवास	3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण (अधिसूचना अनुसार) 4. आरक्षी केन्द्र, देवास एवं टोंकखुर्द की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004 / 4823 / 2019 / 21–ब(एक) दि. 14.10.2019 अनुसार) 5. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विचारण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
04.	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT) देवास (डॉ.कुमारी महजबीन खान)**	**सत्र खण्ड देवास**	1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत तथा जिन मामलों में अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 के साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत भी अपराध दर्ज हो, ऐसे मामलों में प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अनुसार) 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
05	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (श्रीमती सोनल पटेल)**	तहसील देवास एवं टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन **1,00,00,000 / – (एक करोड़) से अधिक किन्तु 3,00,00,000 / – (तीन करोड़)** रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, कोतवाली, नाहर दरवाजा,

			बरोठा, टोंकखुर्द एवं तहसील टोंकखुर्द के जिन थानों का उल्लेख नहीं है, के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले तथा उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत होने वाले **<u>एकल मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा (SINGEL DEATH CLAIM) को छोडकर</u>** शेष समस्त दावें, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रोबेट प्रकरण। 4. भू–अर्जन अधिनियम,1894 अंतर्गत प्रकरण। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम,1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 7. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 8. हिन्दू, अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 9. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	11. अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (2019–का 21) के सिविल जिला, देवास अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। (अधिसूचना दिनांक 24.01.2020 अनुसार) 12. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अंतर्गत उद्भूत अपीलें (ग्राम न्यायाधिकारी, देवास) 13. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
06.	**तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) (श्रीमती कृष्णा परस्ते)**	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन **3,00,00,000/– (तीन करोड़) से अधिक किन्तु 10,00,00,000/– (दस करोड़) तक** हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पुलिस थाना बीएनपी, औद्योगिक क्षेत्र एवं विजयागंज

			मंडी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले तथा उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत होने वाले **<u>एकल मृत्यु मोटर दुर्घटना दावा (SINGEL DEATH CLAIM) को छोडकर</u>** शेष समस्त दावें, निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 5. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. जिला मुख्यालय देवास पर पूर्व में कार्यरत रहे अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं तथा उक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पारित आदेश प्राप्त होने पर उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण, आवेदन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 9. मुख्यालय देवास पर अपर जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के रिक्त होने पर उनके द्वारा पारित निर्णय/आज्ञप्ति एवं अधिनिर्णयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां आदि प्राप्त कर उनका विधि अनुसार निराकरण करेंगे। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द **(सत्र खण्ड देवास)**	11. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रकरण एवं तत्सम्बंधी जमानत आवेदन पत्र व निराकृत विद्युत प्रकरणों से सम्बंधित उत्पन्न होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियॉ (अधिसूचना क्र. ए/3533/तीन–6–4/2003 जबलपुर, दिनांक 09.09.2022 अनुसार) 12. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
07.	**चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (रिक्त न्यायाालय)**	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	————

08.	**पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (रिक्त न्यायाालय)**	तहसील देवास एवं तहसील टोंकखुर्द	————
09.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)**	तहसील सोनकच्छ	————
10.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003 (श्री अरविन्द कुमार गोयल)**	तहसील सोनकच्छ	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 5. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 6. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 7. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 8. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 9. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील सोनकच्छ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 10. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 11. हिन्दू, अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 12. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 13. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 14. प्रोबेट प्रकरण।

			15. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 16. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 17. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 18. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 19. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 20. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 21. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		तहसील सोनकच्छ **सत्र खण्ड सोनकच्छ**	22. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार) 23. सिविल न्यायालय सोनकच्छ के वर्तमान एवं समस्त रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 24. सोनकच्छ तहसील अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी.एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन। 25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। 26. सत्र खण्ड, सोनकच्छ की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004 /4823/ 2019/21–ब(एक) दि. 14.10.2019 अनुसार) **27.** सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं द.प्र.सं.1973 एवं अन्य अधि. अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
11.	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, एवं विशेष न्यायाधीश, Exclusive POCSO Court बागली (श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता)**	तहसील हाटपिपल्या, बागली एवं उदयनगर	1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली (श्री राकेश कुमार जाटव) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत नियमित सिविल अपील व विविध सिविल अपीलें।

			2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियॉ ।
		तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सत्र खंड बागली)**	3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 4. तहसील मुख्यालय बागली पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्री राकेश कुमार जाटव) के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 5. आरक्षी केन्द्र बागली से उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) एवं प्रस्तुत अन्य आवेदन। 6. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। (अधिसूचना अुनसार)
12.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम,2003) (श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय एवं प्रथम जिला न्यायाधीश, बागली के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बागली एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कन्ष्ठि खण्ड, द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रोबेट प्रकरण। 9. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण।

			10. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 11. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 12. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 13. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500 /– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 14. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 15. हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 16. विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 17. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के समस्त प्रकरण। 18. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 19. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/–(एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अंतर्गत समस्त प्रकरण। 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सत्र खण्ड बागली)**	22. विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 23. तहसील न्यायालय बागली पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्री विवेक सिंह राजन) एवं पूर्व से रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 24. आरक्षी केंद्र हाटपिपल्या एवं उदयनगर से उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस. टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन। **25.** सत्र खण्ड, बागली की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004 /4823/2019/21–ब(एक) दि. 14.10.2019 अनुसार)

			26. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
13.	**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद एवं विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम, 2003)** **(श्री आनंद कुमार सहलाम)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड व कनिष्ठ खण्ड कन्नौद, एवं ग्राम न्यायाधिकारी कन्नौद तथा पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत तहसील कन्नौद एवं सतवास के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 9. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू, अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के समस्त प्रकरण। 13. प्रोबेट प्रकरण। 14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।

			15. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 16. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 17. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 18. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण। 19. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील कन्नौद एवं सतवास **(सत्र खण्ड कन्नौद)**	**22.** विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचना अनुसार) 23. तहसील कन्नौद पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ग्राम न्यायाधिकारी कन्नौद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 24. तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस. टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन। 25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। **26.** सत्र खण्ड, कन्नौद की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004 /4823/2019/21–ब(एक) दि. 14.10.2019 अनुसार) 27. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
14.	**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास	————

15.	**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव, विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम,2003) (कुमारी सरिता वाधवानी)**	तहसील खातेगांव	1. समस्त व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड खातेगांव एवं पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव द्व ारा पारित समस्त निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न सिविल एवं विविध सिविल अपीलें। 4. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 से सम्बद्ध प्रकरण निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां, धारा 11(6) के अतिरिक्त। 5. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 6. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत चुनाव याचिकाएं। 7. लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक एवं 1000/– रूपये तक हो तथा उक्त से सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील खातेगांव के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावे, उक्त क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत स्थानीय निवास करने वाले संबंधित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावे निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 9. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 10. हिन्दू, अप्राप्तवय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1956 के तहत व हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तथा संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 11. विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकरण। 12. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के समस्त प्रकरण। 13. प्रोबेट प्रकरण। 14. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 15. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक मूल्यांकन के प्रकरण। 16. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम,2017 अंतर्गत प्रकरण। 17. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 18. भू–अर्जन अधिनियम अंतर्गत प्रकरण।

			19. भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्रकरण। (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) 20. धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अंतर्गत समस्त प्रकरण। 21. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील खातेगांव **(सत्र खण्ड, खातेगांव)**	22. विद्युत अधिनियम 2003 अंतर्गत प्रकरण एवं तत्संबंधी जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां (अधिसूचनानुसार) 23. तहसील खातेगांव पर पदस्थ वर्तमान न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं पूर्व से रिक्त न्यायालयों के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण। 24. तहसील खातेगांव के अंतर्गत उद्भूत धारा 438 एवं 439 दप्रस अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र (एस.सी/एस.टी. एक्ट, एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर) एवं द.प्र.सं. अंतर्गत प्रस्तुत अन्य आवेदन। 25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमांड आदि से संबंधित समस्त कार्यवाहियां। **26.** सत्र खण्ड, खातेगांव की अधिकारिता से उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं समस्त कार्यवाहियां (शासन की अधिसूचना क्रमांक 1–3–2004/4823/2019/21–ब(एक) दि. 14.10.2019 अनुसार) 27. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं अन्य अधिनियम अंतर्गत कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
16	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्री शिव कुमार कौशल)**	तहसील देवास	1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। (सत्र खण्ड देवास) 2. ग्राम पंचायतों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न आपराधिक अपीलें।(सत्र खण्ड देवास) 3. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
17	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं**		1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 (2009 का 4) तहसील देवास के अंतर्गत 25000/– रूपये

	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवास (श्री यशपाल सिंह)		की राशि तक के आर्थिक क्षैत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :– **(i) सिविल विवादः** (क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, **(ii) संपत्ति विवादः** (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार **(iii) अन्य विवादः** (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ड़) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
		तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रांतीय शोध अधिनियम–1920 के अधीन रूपये 1,00,000,00/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 3. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
18.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (श्रीमती अनु सिंह)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,000,00/– (एक करोड) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वंय के न्यायालय एवं पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास के रिक्त न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3ण लघुवाद रूपये 200/– से अधिक किन्तु 500/– रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 4. स्वंय के न्यायालय एवं पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के रिक्त

			न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र संबंधी प्रकरण। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 7. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण जिसके लिए अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास के व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के क्षेत्रांतर्गत है।
19.	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास	————
20	**प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड देवास (सुश्री नेहा परस्ते)**		1. किशोर न्याय बोर्ड, देवास के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां।
21	**पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास	————
22	**षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास	————
23.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री रश्मि खुराना)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद ''वाणिज्यिक विवाद'' सहित जिनका मूल्यांकन 2,00,000/– (दो लाख) रूपये से अधिक किन्तु 3,00,000/– (तीन लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो देवास में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
24.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्री प्रियांशु पाण्डे)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये से अधिक किन्तु 4,00,000/– (चार लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत सिविल जिला देवास अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक

			के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/– मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण, देवास के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
25.	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील देवास	––––––––
26.	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री दिव्या रामटेके)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
27.	**पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)**	तहसील–देवास	––––––––
28.	**षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (सुश्री आफरीन युसुफजई)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद ''वाणिज्यिक विवाद'' सहित जिनका मूल्यांकन 1/– (एक रूपये) से 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
29.	**सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्री अब्दुल अजहर अंसारी)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद ''वाणिज्यिक विवाद'' सहित जिनका मूल्यांकन 1,00,000/– (एक लाख) रूपये से अधिक किन्तु 2,00,000/– (दो लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
30.	**अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (श्री राजेश अंशेरिया)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद ''वाणिज्यिक विवाद'' सहित जिनका मूल्यांकन 4,00,000/– (चार लाख रूपये) से अधिक किन्तु 5,00,000/– (पांच लाख) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

			2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
31.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (श्रीमती श्वेता अग्रवाल)**	तहसील देवास **(सिविल न्यायालय, देवास)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद ''वाणिज्यिक विवाद'' सहित जिनका मूल्यांकन 50,000/– (पचास हजार रूपये) से अधिक किन्तु 1,00,000/– (एक लाख रूपये) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय के उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
32.	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (श्री बुदेसिंह सोलंकी)**	तहसील टोंकखुर्द **(सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/–(पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
33.	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, (सुश्री श्वेता खरे)**	तहसील टोंकखुर्द **(सिविल न्यायालय, टोंकखुर्द)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/–(पांच लाख़) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च एवं उच्चतम

			न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/– (दो सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण। 6. अन्य सभी सिविल प्रकरण,जो टोंकखुर्द व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं।
34.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)**	तहसील सोनकच्छ	–––––
35.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)**	तहसील सोनकच्छ	–––––
36.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ (सुश्री स्वाति बजाज)**	तहसील सोनकच्छ **(सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो सोनकच्छ में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
37.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनकच्छ (श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)**	तहसील सोनकच्छ **(सिविल न्यायालय, सोनकच्छ)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

			2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय सोनकच्छ के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद 200/– (दो सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
38.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, (श्री राकेश कुमार जाटव)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर **(सिविल न्यायालय, बागली)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) से अधिक किन्तु रू. 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील बागली के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं अन्य पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो बागली में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्रांतर्गत हैं। 6. लघु वाद मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण। 7. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 8. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
39.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बागली (रिक्त न्यायालय)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	————
40.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (श्री विवेक सिंह राजन)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1/– (एक रूपये) से 5,00,000/– (पांच लाख़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

		(सिविल न्यायालय, बागली)	2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. तहसील मुख्यालय बागली पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
41.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (रिक्त न्यायालय)**	तहसील बागली, हाटपिपल्या एवं उदयनगर	–––––––
42.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद (श्रीमती मीना शाह)**	तहसील कन्नौद, सतवास **(सिविल न्यायालय,कन्नौद)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/–(एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से एवं ग्राम न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. लघु वाद 200/– रूपये (दो सौ) से अधिक किन्तु 500/– (पांच सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण। 4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 5. प्रांतीय शोध अधिनियम, 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 6. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 7. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जो कन्नौद में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. तहसील कन्नौद पूर्व से व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश से उद्भूत निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 9. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) तहसील कन्नौद एवं सतवास के अंतर्गत 25000/– रूपये की राशि तक के आर्थिक क्षैत्राधिकार के द्वितीय अनुसूची के सिविल

			प्रकृति के निम्नानुसार मामलें जो ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों, वे समस्त प्रकरण। (अधिसूचना अनुसार) :– **(i) सिविल विवादः** (क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार, (ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग, (ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय, **(ii) संपत्ति विवादः** (क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) (ख) जनसरणियां, (ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार **(iii) अन्य विवादः** (क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे, (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे, (ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबधी वाद, (घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद, (ड़) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
43.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)**	तहसील कन्नौद, सतवास	————
44.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (सुश्री हर्षिता सोनी)**	तहसील कन्नौद, सतवास **(सिविल न्यायालय, कन्नौद)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 4. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 5. स्वयं के न्यायालय तथा तहसील मुख्यालय कन्नौद के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रकरण तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

			6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
45.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद (सुश्री नन्दिनी उइके)**	तहसील कन्नौद एवं सतवास **(सिविल न्यायालय, कन्नौद)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये से अधिक किन्तु 5,00,000/– (पांच लाख़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
46.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (रिक्त न्यायालय)**	तहसील खातेगांव	————
47.	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्रीमती संचिता भदकारिया)**	तहसील खातेगांव **(सिविल न्यायालय, खातेगांव)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– (पांच लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 2. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग–10 अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण। 4. धारा 172 मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील प्रकरण। 5. लघु वाद 500/– (पांच सौ) रूपये तक मूल्यांकन वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. अन्य सभी व्यवहार प्रकरण, जिसके लिये अन्य किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, को प्राधिकृत नहीं किया गया है तथा जो खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के क्षेत्रांतर्गत हैं। 7. तहसील न्यायालय खातेगांव में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, के माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 8. प्रांतीय शोध अधिनियम 1920 के अधीन रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक मूल्यांकन के प्रकरण। 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।
48.	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव (श्री राजू पन्द्रे)**	तहसील खातेगांव **(सिविल न्यायालय, खातेगांव)**	1. समस्त मूल व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन एक रूपये से 5,00,000/– (पांच लाख़) तक हो तथा उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां।

			2. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम अंतर्गत 3,00,000/– रूपये (तीन लाख़) रूपये तक के वाणिज्यिक विवाद संबंधित वाद। 3. लघु वाद रूपये 200/– (दो सौ) रूपये मूल्यांकन तक वाले प्रकरण एवं उनसे सम्बद्ध निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 4. स्वयं के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 5. तहसील मुख्यालय खातेगांव पर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पूर्व से रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों से संबंधित निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मूल व्यवहार वाद, कार्यवाहियां एवं अन्य प्रकरण।

मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा 15, 18, 19 व 21(4) तथा द0प्र0स0 1973 अंतर्गत वेष्ठित शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए इस निमित्त पूर्व से प्रदत्त समस्त आदेशों का निवर्तन कर, जिले के न्यायाधीशगण के पद, अस्थाई रिक्त पद, सिविल जिला देवास में पदस्थ न्यायाधीशगण के अनुपस्थिति, मुख्यालय छोड़कर जिले के किसी भी स्थान पर जाने, अवकाशकाल, ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवधि में अन्यथा आदेश होने तक आवश्यक कार्यभार की निम्न क्रमानुसार व्यवस्था की जाती है–

क.	**न्यायालय का नाम**	**प्रभारी न्यायालय**	**प्रभारी न्यायालय की अनुपस्थिति में क्रमशः प्रभारी न्यायालय**
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (एनडीपीएस)	द्वितीय, तृतीय, प्रथम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
02.	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/2264/III-6-3/90 दिनांक 14.09.2020 अनुसार)	मुख्यालय देवास के वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, देवास तथा इनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
2A	विशेष न्यायाधीश, एन.डी. पी.एस. एक्ट 1985 (माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/2262 /III-6-3/89 दिनांक 14.09.2020 अनुसार)	मुख्यालय देवास पर उपलब्ध वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश	सत्र खण्ड, देवास पर उपलब्ध वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जिला–देवास
03.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रकरणों हेतु) एवं शेष अन्य प्रकरणों हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, देवास	तृतीय, द्वितीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ

04.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
05.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
06.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास एवं विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, प्रथम, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
07.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश देवास (रिक्त न्यायालय) तथा ऐसा अन्य जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, देवास जिसका परिवर्णन उपरोक्तानुसार नहीं किया गया है।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	तृतीय, प्रथम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
08.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास (रिक्त न्यायालय)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास.	द्वितीय, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास तथा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
09.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ	तृतीय, द्वितीय, प्रथम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
10.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, 2003	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास	द्वितीय, प्रथम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास, प्रथम, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद एवं खातेगांव
11.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली	प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम

			देवास एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद एवं खातेगांव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
12.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली	तृतीय, प्रथम, द्वितीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद एवं खातेगांव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ
13.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खातेगांव	प्रथम, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बागली, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
14.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खातेगांव, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, द्वितीय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
15.	जिला एवं सत्र अपर न्यायाधीश, खातेगांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कन्नौद	द्वितीय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास तथा विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम देवास
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं ग्राम न्यायालय देवास	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ

18.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ
19.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवास, एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ
20.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ
21.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायााधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द व प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ
22.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	षष्टम्, सप्तम्, अष्ठम्, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
23.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	सप्तम्, षष्टम्, चतुर्थ, अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
24.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	षष्टम्, प्रथम, सप्तम्, चतुर्थ एवं अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,देवास प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
25.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास	द्वितीय, प्रथम, सप्तम, षष्टम्, एवं अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द

26.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास (रिक्त न्यायालय)	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	अष्ठम्, सप्तम, द्वितीय, प्रथम, एवं चतुर्थ् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टोंकखुर्द
27.	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम, अष्ठम्, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, एवं प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
28.	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास, द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम, एवं षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
29.	अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास	सप्तम्, षष्ठम्, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
30.	प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, देवास	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय, सप्तम, प्रथम, चतुर्थ एवं अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
31.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ
32.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द	षष्टम्, सप्तम्, अष्ठम्, प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,सोनकच्छ
33.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ	तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
34.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ	द्वितीय, तृतीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द
35.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	तृतीय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द

36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सोनकच्छ	द्वितीय, प्रथम, षष्टम्, सप्तम्, अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली
37.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	तृतीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव
38.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली (रिक्त न्यायालय)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास	द्वितीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव
39.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम, द्वितीय, षष्ठम्, सप्तम्, अष्ठम् एवं चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, एवं प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव
40.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली	प्रथम, द्वितीय, षष्टम्, सप्तम्, अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास, प्रथम, द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव
41.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सोनकच्छ,द्वितीय, तृतीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
42.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,, कन्नौद (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ, तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद ,व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव, द्वितीय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, द्वितीय, प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,, देवास
44.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव, द्वितीय, व्यवहार

			न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, सप्तम्, चतुर्थ, प्रथम,व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देवास
45.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव (रिक्त न्यायालय)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ, तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
46.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सोनकच्छ, द्वितीय, तृतीय, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास
47.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खातेगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खातेगांव	प्रथम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, कन्नौद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बागली, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सोनकच्छ, प्रथम, सप्तम्, एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास

टिप्पणीः–

1- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास के अवकाश पर होने अथवा उनकी अन्यत्र जिले में श्रृंखला न्यायालय होने के कार्य दिवसों में अत्यावश्यक प्रकृति एवं अन्य न्यायालयीन कार्य हेतु विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 उपरांत क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास को प्राधिकृत किया जाता है।

2- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (**S.C./S.T. Act**) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय पर पदस्थ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश को एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास को अधिकृत किया जाता है।

3- माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी. 1654/III-2-3/89 दिनांक 18.04.2022 एवं पूर्ववर्ती अधिसूचना क्रमांक सी./2262 दिनांक 14.09.2020 के आलोक में न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (**N.D.P.S.Act**) देवास के पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने अथवा उनका स्थानांतरण होने या अन्य किसी कारणवश पद रिक्त होने की दशा में, उक्त न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के प्रस्तुत अथवा लंबित आवेदनों के निपटान हेतु मुख्यालय पर पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश को एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अधिकृत किया जाता है।

4- सत्र न्यायाधीश देवास की अनुपस्थिति या अवकाशकाल में ऐसे प्रकरणों में जिन्हें सत्र न्यायालय को उपार्पित नहीं किया गया है या उन्हें किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित नहीं किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, धारा 438, 439 दप्रस 1973 के पूर्व में निराकृत आवेदन पत्रों के पश्चात् उन्हीं अभियुक्तगण के पश्चात्वर्ती जमानत प्रार्थना–पत्र ऐसे न्यायाधीश या उसके उत्तराधिकारी (क्रमशः विशेष न्यायाधीश एस.सी./ एस.टी. एक्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास) द्वारा श्रवण एवं निराकृत किये जा सकेंगे, जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन–पत्र निराकृत किया गया है।

5- सत्र न्यायाधीश, देवास के दो दिवस से अधिक लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने की स्थिति में **मुख्यालय पर प्रस्तुत होने वाले प्रथम जमानत आवेदन पत्र** अन्तर्गत धारा 438 एवं 439 दं.प्र.सं. विधिवत सुनवायी के लिए आगामी आदेश होने तक प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर, सप्ताह के सोमवार व गुरूवार के दिन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) व मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.) तथा बुधवार एवं शनिवार के दिन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास (म. प्र.) के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे, जो सम्बंधित न्यायालय को विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित समझे जाएंगें। साथ ही सत्र न्यायाधीश, देवास के लम्बी अवधि के अवकाश पर रहने के दौरान पूर्व में निराकृत आरोपी से सम्बंधित द्वितीय एवं अन्य जमानत आवेदन पत्र तथा एक ही अपराध क्रमांक में सह आरोपी द्वारा प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र, उसी न्यायाधीश द्वारा सुनवाई कर निराकृत किए जाएंगे, जिसके द्वारा पूर्व में अन्य सह आरोपी के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार, उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जायेंगे, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन पत्र निराकृत किए गए थे। ऐसे आवेदन पत्र विधिवत निराकरण हेतु संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश, देवास के समक्ष सीधे रखे जावेंगे ।

6- सत्र न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय), देवास के OAW & POCSO के प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण एवं न्यायिक कार्य माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को रिक्त न्यायालय का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

7- बाह्यवर्ती न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (टोंकखुर्द, सोनकच्छ बागली, कन्नौद एवं खातेगांव) के न्यायालयों द्वारा अनेन्य रूपेण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को सीधे संबंधित बाह्यवर्ती न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उपार्पित किया जाएगा किन्तु ऐसे प्रकरणों को मात्र सत्र पंजी में प्रविष्ट करने हेतु सत्र न्यायालय देवास भेजा जाएगा।

8- न्यायिक जिला देवास के ऐसे प्रकरण जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 (पॉक्सो एक्ट) के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1988 का भी अभियोग है, उनकी रिमांड कार्यवाही, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अभियोग पत्र संबंधी कार्यवाहियां सीधे, विशेष न्यायालय–**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (POCSO Act) देवास** में प्रस्तुत की जाएगी।

9- जिले के समस्त तहसील न्यायालयों के निर्णय एवं आदेशों से उद्भूत आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण सीधे प्रत्येक तहसील न्यायालय के संबंधित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जो उन्हें प्राप्त कर, सत्र न्यायालय को अपील पुनरीक्षण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रेषित करेगा।

10- सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश देवास, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक आवेदन पत्र धारा 10 (3) दप्रस अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जाएंगे।

11- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बागली की श्रृंखला न्यायालय कन्नौद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्टट्रैक) तथा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्नौद जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं। इन न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कन्नौद को रिक्त न्यायालयों का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत किये जाएंगे।

12- जिले में पदस्थ प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय, जिला न्यायाधीश, देवास के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सिविल, अपील प्रकरण, विविध अपील एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।

13- प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ का न्यायालय वर्तमान में रिक्त है। जिससे उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण एवं न्यायिक कार्य तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ को रिक्त न्यायालय का उत्तरवर्ती न्यायालय निर्धारित कर, उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है। उक्त न्यायालय से संबंधित समस्त प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे एवं निराकृत किये जाएंगे।

14- जिले में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के स्थानांतरण अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के सिविल प्रकरण एवं अन्य समस्त विविध कार्यवाहियां उनके उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा की जावेगी।

15- सिविल जिला–देवास अंतर्गत वाणिज्यिक विवाद सम्बंधी ऐसे प्रकरण, जिनका मूल्यांकन रू. 3,00,000/–से अधिक हो, उनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार पदाभिहित(Designated) वाणिज्यिक न्यायालय, इन्दौर को होने से, उक्त सभी वाद आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगें।

16- मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए सिविल जिला देवास में कार्यरत सभी व्यवहार न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश (Vacation) अथवा अन्य 5 दिवस से अधिक के दीर्घकालीन अवकाशों में अत्यावश्यक प्रकृति के व्यवहार प्रकरणों को प्राप्त कर,उनका नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में अत्यावश्यक कार्य हेतु क्रमानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्राधिकृत जिला न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड या व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालयों के मुख्यालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा अत्यावश्यक कार्यों (Urgent Work) को संपादित किया जाएगा।

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक/ 226 /एस0डब्ल्यू0/2023 देवास, दिनांक 19/01/2023

प्रतिलिपि–

01. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
02. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास,
03. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण अधिनियम) देवास,
04. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
05. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली/कन्नौद/खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
06. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवास/टोंकखुर्द/सोनकच्छ/बागली /कन्नौद/खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.)
07. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास,
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. कलेक्टर, जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. पुलिस अधीक्षक, देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त थाना प्रभारीगण, पुलिस थाना, जिला–देवास (म.प्र.) (सम्पूर्ण) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।
11. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. केंद्रीय पंजीयन अनुभाग, देवास को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. उपसंचालक, अभियोजन, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
16. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव, जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
17. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव जिला–देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
18. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)